विविध बैंक प्रकरण संख्या 57 / 2021(GCMS : **2021/173**) आई.सी.आई.सी.आई बैंक प्रधान कार्यालय टॉवर्स बान्द्रा–कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई–400051 एवं तृतीय तल [illegible] सागर कॉम्पलेक्स, जलजोक सर्किल, जोधपुर – 342003 बनाम 1. **सेफ सिटी कार्गो** –प्रो. सुरेन कुमार सोमानी नेशनल हाईवे नं. 15, मानकसर चौक, सूरतगढ– 335805 एवं वार्ड नं. 15, न्यू गुरूद्वारा के पास, पुराना मार्केट, सूरतगढ श्रीगंगानगर – 335805 2. **यशोदा देवी सोमानी** पत्नी नागर मल सोमानी 3 **नागर मल सोमानी** पुत्र स्व. चैन रूप सोमानी निवासी वार्ड नं. 15, न्यू गुरूद्वारा के पास, पुराना मार्केट, सूरतगढ श्रीगंगानगर – 335805

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री विपिन सिद्ध उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 08.10.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण सेफ सिटी कार्गो – प्रो. सुरेन कुमार सोमानी, यशोदा देवी सोमानी एवं नागरमल सोमानी को ऋण सुविधा के रूप में 42.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये बियालीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 21.11.2013 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण नागर मल सोमानी एवं यशोदा देवी सोमानी द्वारा अपनी सम्पत्ति वार्ड नं. 15, नये गुरूद्वारा के पास (क्षेत्रफल 242.85 वर्गगज), पुराना मार्केट, सूरतगढ – 335805 प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.09.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणियों के नाम दिनांक 30.04.[illegible] [illegible]44,19,031/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व [illegible] बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का [illegible]टिस दिनांक 29.05.[illegible] को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणियों नागर मल सोमानी एवं यशोदा देवी सोमानी **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई सम्पत्ति वार्ड नं. 15, नये गुरूद्वारा के पास (क्षेत्रफल 242.85 वर्गगज), पुराना मार्केट, सूरतगढ — 335805 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** सेफ सिटी कार्गो — प्रो. सुरेन कुमार सोमानी, यशोदा देवी सोमानी एवं नागरमल सोमानी को 42.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये बियालीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.11.2013 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणियों नागर मल सोमानी एवं यशोदा देवी सोमानी **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्ति** वार्ड नं. 15, नये गुरूद्वारा के पास (क्षेत्रफल 242.85 वर्गगज), पुराना मार्केट, सूरतगढ — 335805 प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **29.09.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 29.05.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.06.2021 को [illegible] की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा [illegible] के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणियों नागर मल सोमानी एवं यशोदा देवी सोमानी **की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति** वार्ड नं. 15, नये गुरूद्वारा के पास (क्षेत्रफल 242.85 वर्गगज), पुराना मार्केट, सूरतगढ – 335805 जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 29.05.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 29.05.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण सेफ सिटी कार्गो – प्रो. सुरेन कुमार सोमानी, यशोदा देवी सोमानी एवं नागरमल सोमानी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.06.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। [illegible] अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) नोटिस की तामील होना [illegible] प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों से आक्षेप/अभ्यावेदन बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

करवाई है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी** ऋणियों नागर मल सोमानी एवं यशोदा देवी सोमानी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई गई सम्पत्ति वार्ड नं. 15, नये गुरूद्वारा के पास (क्षेत्रफल 242.85 वर्गगज), पुराना मार्केट, सूरतगढ **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:55:42 IST
Reason: SelfAttested